प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता सपठित धारा 151 सीपीसी

दर्ज तारीख :– 22.09.2022

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री मंसूर अली छीपा, अभिभाषक, प्रार्थीगण
श्री रामकिशोर चौधरी, अभिभाषक, अप्रार्थी सं. 1,

आदेश

दिनांक : 01.02.2023

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बगड़की पटवारी क्षैत्र रियां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 208/133 रकबा 1.4238 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी सं. एक की खातेदारी कब्जासुद जमीन है तथा खसरा नम्बर 131 रकबा 14.9349 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी सं. एक की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं. एक का 1/2 वां हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 208/133 रकबा 1.4238 हैक्टयर भूमि पर वादी का किसी प्रकार से कब्जा काश्त नही है तथा न ही मौके पर कभी कब्जा रहा । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 208/133 रकबा 1.4238 है. भूमि पर प्रतिवादी सं. एक अकेला खातेदार काश्त करता आ रहा है । इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 14.9349 हैक्टयर भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नही है तथा न ही मौके पर कभी कब्जा रहा उक्त वादग्रस्त आराजी के 1/2 वां हिस्सा पर प्रतिवादी सं. एक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 208/133 जो मूल खसरा नम्बर 133 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा जमीन थी, जिसमें बचनाराम, मोहनराम, संग्रामराम, हरलाल पिता अचलाराम व अन्य की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन थी जिसमें से वर्ष 2006 में बचनाराम, मोहनराम, संग्रामराम, पिता अचलाराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं. एक हरलाल पुत्र अचलाराम को जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा (रिलीजडीड) के हकतर्क कर दिया जो दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय बिलाड़ा में पंजीबद्धसुदा हे । इसके पश्चात् रजिस्टर्ड हकतर्कनामा रिलीजडीड के आधार पर नामान्तरकरण सं. 235 के रूप में राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं. एक के नाम से दर्ज इन्द्राज हुआ तथा उसी समय प्रतिवादी सं. एक काबिज होकर काश्त करने लग गया। इसी प्रकार खसरानम्बर 131 रकबा 30 बीघा जमीन बचनाराम, मोहनराम, सग्रामराम, हरलाल पिता अचलाराम 1/2, लूम्बाराम, जगदीश पिता टिबुराम 1/2 वां हिस्सा खातेदारी दर्ज थी, जिसमें से बचनाराम, मोहनराम, संग्रामराम पिता अचलाराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं. एक हरलाल पुत्र अचलाराम के हक में वर्ष 2006 में रजिस्टर्ड हकतर्कनामा रिलीजडीड के हकतर्क कर दिया जो हकतर्कनामा उप पंजीयक कार्यालय बिलाड़ा से पंजीबद्धसुदा है जिसका नियमानुसार प्रतिवादी सं एक ने हक में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर 1/2 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. एक के नाम खातेदारी दर्ज हुई तब से प्रतिवादी सं. एक का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त रजिस्टर्ड हकतर्कनामा पंजीबद्ध दस्तावेज है जिसको वादी ने किसी प्रकार से सिविल न्यायालय से चेलेन्ज नही किया है तथा श्रीमान न्यायालय हाजा से उक्त अनवान पेश कर किया जो श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार का नही है उक्त मामला सिविल न्यायालय

के क्षेत्राधिकार का होने से भी काबिल खारिज के है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी सं. एक वर्ष 2006 से भौतिक रूप से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है यानि वादी ने 16 वर्षो पश्चात् हकतर्कनामा/रिलीजडीड को चेलेन्ज करते हुए उक्त वाद पेश किया जो कि मौके पर 16 वर्षो से वादी का कब्जा काश्त नही होने से भी काबिल खारिज के है तथा रजिस्टर्ड हकतर्कनामा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने से भी प्रस्तुत वाद काबिल खारिज के है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि वादी का वाद पत्र श्रीमान न्यायालय हाता के क्षेत्राधिकार का नही होकर सिविल नेचर का होने से चलने योग्य नही है तथा वादी ने 16 वर्षो पश्चात् परीसीमा अधिनियम की धारा 05 के अनुसार मियाद बाहर होने से भी चलने योग्य नही है । इसलिए वाद का वाद भारी कोष्ट के साथ खारिज फरमावें।

प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब वादी वकील द्वारा दिया गया व बताया कि जो इस प्रकार से है कि :–

यह है कि प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में अंकन किया की ग्राम रिया की सरहद में कृषि भूमि खसरा संख्या 208/133 रकबा 1.4238 हैक्टेयर आई हुई है जो प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारीसुदा है व खसरा संख्या 131 में का 1/2 हिस्सा है जो स्वयं प्रतिवादी साबित करे वादी का अपने वादपत्र में यह कथन रहा है कि खसरा संख्या 133 वादी के दाद अचलाराम के साथ अन्य सह खातेदारान के नाम से इन्द्राज थी तथा फोतेदगी नामांतरण संख्या 120 के जरिये वादी के पिता व काका के नाम से इन्द्राज हुई जिससे स्पष्ट है कि खसरा संख्या 133 की भूमि वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि है व वादी ने जमाबंदी संवत 2026 से 2054 तक की प्रस्तुत कि है जिसमें स्पष्ट रूप से खसरा संख्या 133 की भूमि पुश्तैनी होना साबित है तथा खसरा संख्या 131 की भूमि पूर्व में राजस्व रेकर्ड में अचला पुत्र सांवत भाट व अन्य सह खातेदारान के नाम से इन्द्राज थी अचलाजी वादी के दादा थे व 1/2 हिस्सा निहित था जो जमाबंदी संवत 2026 से 2041 से साबित है नामांतरण संख्या 119 के जरिये फोतेदगी नामांतरण के वादी के पिता व 23 अन्य के नाम से खसरा संख्या 131 की भूमि इन्द्राज हुई जिससे साबित है। कि खसरा संख्या 131 की भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि है। प्रतिवादी संख्या 01 ने अंकन किया की वह खसरा संख्या 208/133 का अकेला खातेदार है व उसी का कब्जा है व वादी का कब्जा नहीं है जो कि गलत है वादग्रस्त जायगा में वादी का अपने हक हिस्से में कब्जा है व खसरा संख्या 133 मूल पुश्तैनी भूमि है जिसमे वादी ने खातेदारी घोषणा का दावा किया है तथा प्रतिवादी संख्या 01 जो वर्तमान में एकल खातेदार के रूप में जो त्रुटिपूर्ण व गलत रूप से दर्ज है इसीलिए वादी ने खातेदारी घोषणा का दावा किया है। 3. यह है कि पद संख्या 03 में प्रतिवादी संख्या 01 ने अंकन किया की खसरा संख्या 131 में वादी का कब्जा काश्त नहीं है जो गलत है वादी अपने हक हिस्से में काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 ने अंकन किया की खसरा संख्या 208/133 जो मूल खसरा 133 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा भूमि में वादी के पिता सहित अन्य ने वर्ष 2006 में प्रतिवादी संख्या 01 पक्षा में हकतर्क कर दिया था इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 अपने आप को नामांतरण संख्या 235 के जरिये खातेदार होना बताता है जो कि गलत है स्वयं प्रतिवादी संख्या 01 यह मानता है कि खसरा संख्या 133 मूल रकबा

था जो अचलारामजी वादी के दादा के नाम से दर्ज था व उनके देहांत के बाद उनके विधिक वारिसान के नामांतरण संख्या 120 इन्द्राज किया इस प्रकार पुश्तैनी अविभाजित हिन्दू समुदाय की कृषि भूमि होने से वादी का हक व हिस्सा जन्म से ही हिन्दु विधि के अनुसार निहित हो जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने अंकन किया की खसरा संख्या 131 में वादी के पिता व अन्य खातेदार ने अपना हक हिस्सा हकर्तक कर दिया इसलिए वादी का अधिकार नहीं है जो की पूर्णतः गलत है वादी अपने हक हिस्से में काबिज है पुश्तैनी भूमि होने से वादी का हक व हिस्सा खसरा संख्या 131 में निहित है जो पद संख्या 01 में वर्णित है तथा जो हकर्तकनामा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में वादी के पिता ने किया वह हकर्तकनामा कानूनी रूप से सहीं नहीं है जो हक व हिस्से से ज्यादा भूमि का किया हुआ है इसलिए अपने आप में हकर्तकनामा शुन्य दस्तावेज है जिसे निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है इसलिए श्रीमान न्यायालय को खातेदारी घोषणा सुनने का विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 01 ने अंकन किया की 16 वर्षो से उसका वादग्रस्त जायगा में कब्जा है व वादी का कब्जा नहीं है इसलिए वादपत्र खारिज किया जावे जो कि गलत है बादी का हिन्दु विधि के अनुसार अपनी माँ की कोख में आने से लेकर आज तक कब्जा काश्त है जो हिन्दु विधि अनुसार साबित है। प्रतिवादी संख्या 01 ने अंकन किया की वादी ने असल तथ्यों को छुपाकर वादपत्र प्रस्तुत किया है वह म्याद बाहर है इसलिए दावा खारिज किया जावे जो कि गलत है वादी ने खातेदारी घोषणा हेतू वादपत्र पेश किया है जिसकि कोई समय सीमा नहीं है तथा श्रीमान न्यायालय को उक्त वादपत्र सुनने का विधिक अधिकार प्राप्त है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से निवेदन हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मनगडत तथ्यों पर आधारित है व वादग्रस्त जायगा पुश्तैनी है इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र 5000 हजार रूपये कि कोस्ट के साथ खारिज फरमाया जावे अन्य अनुतोष जो हित अप्रार्थीगण हो अता फरमाया जायें।

उभय पक्षकारान बहस सुनी गई । बहस के दौरान प्रतिवादी सं. 1 द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किए जो इस अनुसार हैं

1. 2021(2) RRT Page no. 1513
2. RRD 14.03.2019
3- 2019 DNJ (sc) 914 Supreme Court of india
4- 2019 (1) CJ (CIV) Raj 168 Rajasthan High Court
5- Supreme Court of india Civil No. 2360 of 2016

उक्त न्यायिक दृष्टांतो के तहत भी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। साथ ही आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की विधिक स्थितियो अनुसार प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । वादी के वाद पत्र का आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानो के तहत परीक्षकण किया गया। प्रार्थी (प्रतिवादी) वकील द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्य पेश किए है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 208/133 जो मूल खसरा 133 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा भूमि थी जिसमें बचनाराम, मोहनराम, संग्रामराम, हरलाल पिता अचलाराम व अन्य की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन थी जिसमें से वर्ष 2006 में बचनाराम, मोहनराम, संग्रामराम पिता अचलाराम मे से अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 हरलाल पुत्र अचलाराम को जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा के हकतर्क किया जो दस्तावेत उपपंजीयक बिलाड़ा में पंजीबद्ध है जिसके आधार

पर नामांतरण भरा जाकर 1/2 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हुआ । उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज को वादी ने सिविल न्यायालय में Challenge नही किया है।

किसी प्रकार के रजिस्टर्ड दस्तावेज को शून्य करने का अधिकार सिविल न्यायालय का है। पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेज नही है जो यह दर्शित करे कि रजिस्टर्ड हकतर्कनामे को सिविल न्यायालय में चैलेन्ज किया गया हो । विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनिमय 1963 के प्रावधानो के तहत भी इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही हैं। वादी वकील द्वारा ये बताया है कि उक्त भूमि पुश्तैनी हैं व प्रतिवादी वकील द्वारा बताया गया है कि वादी का कब्जा काश्त भूमि पर नही हैं वादी द्वारा अपने जवाब में स्वयं का कब्जा काश्त बताया है वादी के वाद पत्र में दिनांक 14.08.2022 को अपने गांव आने व कृषि भूमि पर कार्य करने से प्रतिवादीगण द्वारा मना करने का उल्लेख है। साथ ही वादी वकील द्वारा प्रस्तुत खसरानम्बर 131 की गिरदावरी संवत् 2078, 2076, 2077, 2079 व साथ ही खसरा नम्बर 133 की खसरा गिरदावरी संवत् 2076, 2077, 2078, 2079 से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी का कब्जा काश्त नही हैं। अतः वादी वकील द्वारा स्वयं प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से भी वादी का कब्जाकाश्त विवादग्रस्त भूमि में प्रतीत नही हो रहा हैं, वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व गिरदावरी, प्रतिवादीगण में प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के तथ्यो को सिद्ध कर रही हैं।

वादी के वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादकारण दिनांक 14.08.2022 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा, वादी को गांव आने व बारिश का मौसम होने से अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त करने से रोकने पर उत्पन्न होना बताते है परंतु वादी द्वारा वादपत्र में ये कही भी नही बताया है कि वादी के पिता द्वारा अपने भाई के पक्ष में हकतर्कनामा करने की जानकारी वादी को 14.08.2022 के पश्चात् ही हुई हैं। वाद पत्र में कही उल्लेख नही है कि वादी द्वारा हकतर्कनामा व हकतर्कनामा के पश्चात् भरे नामांतरण की जानकारी 14.08.2022 के पश्चात् हुई व इसकी प्रति प्राप्त करने के लिए वादी द्वारा कार्यवाही की गई । अतः वादपत्र से स्पष्ट है कि वादी को हकतर्कनामा की जानकारी पूर्व से रही हैं ।

अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर तकलीम दाखिल दफ्तर हों।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर